

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक:-एफ8(20)आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/गिरदावरी/2025/

जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2082 (वर्ष 2025-26) में खरीफ फसलों की जिला कलक्टरों द्वारा करवाई गई नियमित गिरदावरी की राज्य के जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित जिलों के आगे लिखेनुसार **1814 गांवों** में कृषकों की फसलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत व अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है, एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से **दिनांक 31 मार्च, 2026** तक लागू रहेंगे, तथा उक्त जिलों में 33 प्रतिशत व अधिक फसल खराबा वाले व्यक्तिगत कृषकों को भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी जाती है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	कुल ग्रामों की संख्या
1	जयपुर	फुलेरा, फागी, माधोराजपुरा, मौजमाबाद एवं दूदू।	371
2	सलूम्बर	लसाडिया, सलूम्बर, झल्लारा, सराड़ा एवं सेमारी।	14
3	जालोर	सायला, आहोर, भाद्राजून, सांचौर एवं चितलवाना।	308
4	करौली	मण्डरायल एवं सपोटरा।	11
5	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़, अरनोद, दलोट, छोटीसादड़ी, धरियावद, पीपलखूंट एवं सुहागपुरा।	1020
6	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़, टिब्बी एवं भादरा।	90
कुल योग:-			1814

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैफाली कुशवाहा)
शासन उप सचिव



RajKaj Ref No.:
18765430

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, आ.प्र. एवं सहायता, राजस्थान सरकार।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम.डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
17. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर।
19. जिला कलक्टर, जयपुर, सलूम्बर, जालोर, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़।
20. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
22. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
23. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
24. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु।
25. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को गजट नोटिफिकेशन में ऑन लाईन/ई-फाईल से प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
26. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

शासन उप सचिव